

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़
पीठासीन अधिकारी भवानीसिंह पालावत आर०ए०एस

प्रकरण संख्या: 16/18

दायरा 08.01.18

रामनारायण गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी झालावाड़

प्रार्थी.....

बनाम

राजकुमार आ० जवाहर चन्द महाजन विक्रेता एवं मालिक मैसर्स कान्हा मावा भण्डार भवानीमण्डी

गैर सायलान.....

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(11)/51 एफ०एस०एस० एक्ट 2006 नियम 2011

उपस्थित- 1- परोकार सरकार
2- गैर सायल स्वयं

आदेश

दिनांक:- 26.02.2018

श्री रामनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं खाद्य अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक /एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया हूँ। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वा० सेवायें राज० जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/पी.एफ.ए./नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधि० झालावाड़ द्वारा आवंटित किया गया है और झालावाड़ जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में आते हैं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन में आगे वर्णित किया गया कि दिनांक 16.10.2017 को समय बाद दोपहर 03.45 बजे मय टीम के मैसर्स कान्हा मावा भण्डार भवानीमण्डी पर निरीक्षण के लिये पहुंचा। वहां पर राजकुमार पुत्र श्री जवाहर चंद उम्र 41 वर्ष जाति महाजन मावा विक्रेता एवं मालिक मैसर्स कान्हा जी मावा भण्डार स्टेशन तिराहा भवानीमण्डी खाद्य पदार्थ मावा का कय, विक्रय का कार्य कर रहे थे, वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/खाद्य व्यवसाय रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ मावा जो कि जूट के टाट में पोलिथीन में लीपटा हुआ डोरी से सिला हुआ 2 बंडल जो कि रोडवेज बस नं. आर.जे. 17 0855 झालावाड़ रतलाम बस में रखा था जिसे 3:45 बजे पचपहाड़ तिराहा डग रोड़ भवानीमण्डी पर गाड़ी से उतारकर चैक किया जिसे खुलवाने पर मावा 25-25 किलो पाया गया था। जो कि त्योंहार पर वास्ते बेचान बताया गया। इसमें मिलावट का संदेह होने पर हिलाहिला कर 1 किलो मावा वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदी, जिसकी कीमत विक्रेता को रु 300/- नगद देकर वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रति तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

हमने बहस को सुना व पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। गैर सायल द्वारा खाद्य पदार्थ मावा सबस्टेण्ड का विक्रय किया जाना सन्देह से परे साबित होता है। गैर सायल का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए जुर्माने का दण्ड अधिनियम की धारा 51 में उपबन्धित किया गया है। उपरोक्त प्रावधान को मददेनजर रखते हुए इस्तगसा स्वीकार किया जाकर गैर सायल राजकुमार को 5000/- रुपये के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमानुसार उक्त राशि वसूली की कार्यवाही कर जुर्माना राशि वसूल कर राजकोष में जमा करा चालान की प्रति न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखित दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(भवानी सिंह पालावात)
न्यायनिर्णय अधिकारी एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़
झालावाड़ (राज.)

हस्ताक्षर करने को कहा जिसे राजकुमार पुत्र श्री जवाहर चंद विक्रेता एवं मालिक, ने भी पढ़कर सुनकर एवं समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये, फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति हरिश्चन्द्र को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए इस्तगासे के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मावा को चार साफ सूखी व खाली काँच की शिशियों में बराबर-बराबर भरकर प्रत्येक नमूना शीशी में फोर्मलिन की 20-20 बूंद डालकर ढक्कन लगाकर एंयर टाईड बंद करके लेबल चिपकाये और लेबलो पर खाद्य पदार्थ का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक वी-917 नमूना लेने की दिनांक, स्थान व डाले गये प्रिजर्वेटिव की मात्रा दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करायें। नमूना भागों को अलग-2 खाकी कागज में लपेट कर दोनो किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक पेपर स्लिप नं. वी-917 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों को अपने जाप्टों में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहन को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं गवाहन ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं मैने हस्ताक्षर किये, फर्द रिपोर्ट की प्रति इस्तगासे के साथ संलग्न है। कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की 6 प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर एवं दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर श्री जगदीश प्रसाद मीणा च.श्रे.कर्म. कार्यालय हाजा द्वारा श्रीमान मुख्य खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ के पत्र क्रमांक दिनांक 08.11.17 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 889/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट /2017/844 दिनांक 02.11.17 के अनुसार विक्रेता द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा सबस्टेण्ड होना पाया गया जांच रिपोर्ट इस्तगासे के साथ संलग्न है। जिसकी सूचना अधिनियम की धारा 46 (4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डाक द्वारा मय जांच रिपोर्ट की प्रति के गैर सायल को भिजवाई गई जिसके विरुद्ध अपील प्राप्त नहीं हुई है।

आवेदक द्वारा अपने आवेदन मे यह भी कथन किया है कि अभिहित अधिकारी एवं चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी झालावाड़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक 506 दिनांक 04.12.17 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। इसी के साथ निवेदन किया कि उक्त केस में गैर सायल द्वारा खाद्य पदार्थ मावा सबस्टेण्ड का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में वर्णित है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जर्ज नोटिस तलब किया गया एवं नोटिस मे नियत दिनांक एवं समय पर अम्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। गैर सायल द्वारा अनुरोध किया कि भविष्य में ध्यान रखा जावेगा कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण किया जावे आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन के तथ्य की पुष्टि मे सलग्न किये गये दस्तावेजो की ओर ध्यान आकृषित करते हुये कथन किया कि खाद्य पदार्थ मावा सबस्टेण्ड का विक्रय किया जाना पत्रावली पर उमलब्ध खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट से साबित होता है। आवेदन किये जाने हेतु पदाभिहित अधिकारी से प्राप्त लिखित प्राधिकार भी आवेदन के साथ सलग्न किया गया है। गैर सायल से खाद्य पदार्थ मावा सबस्टेण्ड के नमूने लिये जाने की कार्यवाही से संबंधित दस्तोजन भी आवेदन के साथ सलग्न किये गये है। उक्त सभी दस्तावेजो से साबित होता है कि गैर सायल द्वारा खाद्य पदार्थ मावा सबस्टेण्ड का विक्रय किया गया है।

21
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)